

शीतकालीन सत्र 2021

प्रलिस के ललल:

संसद की बैठक की समाप्त, स्थगन, अनश्चित काल के ललल स्थगन, सत्रावसान और वधलन ।

मेन्स के ललल:

संसद के शीतकालीन सत्र में पारलल महत्त्वपूर्ण वधलयक ।

चर्चा में क्यल?

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र को अनश्चित काल के ललल स्थगल कर दलल गलल है (पुनः बैठक के ललल दलन नरलधरल कलल बनल संसद की बैठक को समाप्त करना) । इस सत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण वधलयल को पारलल कलल गलल ।

प्रमुख वदु

- संसद की बैठक की समाप्त: दोनों सदनों में संसद की बैठक को नमलनलखलल प्रलवधलयल के दवलरल समाप्त कलल जल सकतल है:
 - स्थगन (Adjournment)
 - अनश्चितकाल के ललल स्थगन (Adjournment sine die),
 - सत्रावसान (Prorogation)
 - वधलन (राज्यसभा के ललल लागू नही)
- स्थगन (Adjournment): स्थगन एक नश्चित समय के ललल बैठक में कामकाज को नललंबल कर देतल है । स्थगन कुछ घंटे, दलन यल सप्ताह के ललल हो सकतल है ।
 - जब बैठक अगली बैठक के ललल नयलत कसी नश्चित समय/तथल के बनल समाप्त हो जलती है तो इसे अनश्चितकाल के ललल स्थगन कहा जलतल है ।
 - स्थगन और अनश्चितकाल के ललल स्थगन की शक्त सदन के पीठासीन अधकलरी के पास होती है ।
- अनश्चितकाल के ललल स्थगन: अनश्चितकाल के ललल स्थगन का अर्थ है अनश्चितकाल के ललल संसद की बैठक को समाप्त करना, यलनी सदन को फरल से शुरू करने हेतु कोई एक दलन नरलधरल कलल बनल स्थगल कर दलल जलतल है, तो इसे स्थगन कहा जलतल है ।
 - अनश्चितकाल के ललल स्थगन की शक्त सदन के पीठासीन अधकलरी के पास होती है ।
 - हाललंक कसी सदन का पीठासीन अधकलरी उस तलरीख यल समय से पहले यल सदन के अनश्चितकाल के ललल स्थगल होने के बाद कसी भी समय सदन की बैठक बुलल सकतल है ।
- सत्रावसान (Prorogation):
 - सत्रावसान शब्द का अर्थ संवधलन के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपतल दवलरल दलल गए आदेश दवलरल सदन के एक सत्र की समाप्त से है ।
 - सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना है और आमतौर पर यल पीठासीन अधकलरी दवलरल सदन को अनश्चितकाल के ललल स्थगल करने के कुछ दलयल के भीतर कलल जलतल है ।
 - राष्ट्रपतल सत्र के सत्रावसान के ललल एक अधसूचना जलरी करतल है ।
 - हाललंक राष्ट्रपतल सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकतल है ।
 - यल ध्यान दलल जलनल चाहलल कल बलल पेश करने के अललल सभी लंबल नोटस वयपगत हो जलते हैं ।
 - एक सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधल को एक अवकाश कहा जलतल है ।
- वधलन (Dissolution): जब भी कोई वधलन होता है, तो इससे मौजूदल सदन का कार्यकाल समाप्त हो जलतल है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन होता है ।
 - हाललंक केवल लोकसभा का वधलन हो सकतल है राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण वधलन नही हो सकती है ।

संसद के सदनल दवलरल पारलल कुछ महत्त्वपूर्ण वधलयक:

- **कृषिकानून नरिसन वधियक, 2021:** कसिनो के वरिध को देखते हुए नमिनलखिति तीन कृषिकानूनों को नरिसत करने के लिये वधियक पेश करके पारति कयिा गया:
 - मूल्य आशवासन और कृषिसेवा अधनियम, 2020 पर कसिन (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता
 - कसिन उपज व्यापार और वाणजिय (संवरधन और सुवधि) अधनियम, 2020
 - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधनियम, 2020
- **बाँध सुरक्षा वधियक, 2021:** यह बाँध की वफिलता से संबंधति आपदाओं की रोकथाम के लिये नरिदषिट बाँध की नगिरानी, नरिीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
 - यह उनके सुरक्षति कामकाज को सुनश्चिति करने के लिये और उससे जुड़े या उसके आनुषंगकि मामलों के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (वनिियम) वधियक, 2021:** यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के वनिियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षति व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।
 - इसने राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की भी परकिल्पना की।
- **सरोगेसी (वनिियमन) वधियक, 2021:** यह देश में सरोगेसी सेवाओं के नयिमन का प्रावधान करता है।
 - यह सरोगेट माताओं के संभावति शोषण को रोकता है तथा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय औषधीय शक्ति एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय औषधीय शक्ति और अनुसंधान संस्थान अधनियम के तहत स्थापति संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान होंगे।
 - इसने एक केंद्रीय निकाय की भी स्थापना की, जिसे औषधीय शक्ति और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव आदि के समन्वति विकास सुनश्चिति करने के लिये परषिद कहा जाएगा।
- **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नश्चिति आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारवारिक पेंशन की अतरिकित मात्रा पाने के हकदार कब होते हैं।
- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंस (संशोधन) वधियक, 2021:** बलि अधनियम की धारा 27ए में प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिये इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापति एक अध्यादेश की जगह लेगा।
- **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) वधियक, 2021:** यह केंद्रीय जाँच ब्यूरो के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच साल पूरे नहीं हो जाते।
- **केंद्रीय सतरकता आयोग (संशोधन) वधियक, 2021:** यह प्रवर्तन नदिशालय के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाते।
- **चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021:** यह वभिनिन स्थानों पर एक ही वयक्ती के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिये मतदाता सूची डेटा को आधार पारस्थितिकि तंत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है।

स्रोत: पीआईबी